

# जिला गजट



## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

पृष्ठ-४

२६ अक्टूबर १९६६ (शुक्र)

अंक-१

मुंबैर, जमिन्दार १६ अप्रिल १९७७

मूल्य ७५ पैसे मात्र

समाहर्ता द्वारा निकाले गये भू - अर्जन सम्बन्धी अधिसूचनाएं, घोषणाएं एवं स्थानीय सूचनाएं

### विषय-सूची

अधिसूचना, शुद्धिपत्र, घोषणा एवं सूचना पृष्ठोंक १ से ७ तक

### बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अधिसूचना

मुंबैर, दिनांक -४-७७

अधिसूचना सं. ३१ रा ७७ चूंकि इसके माथ अनुवद्ध तालिका के स्तम्भ १ में उल्लिखित भू धारक ने बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिगेष भूमि अर्जन) अधिनियम (बिहार लैंड रिफॉर्म्स फिक्सेसन औफ सीलिंग एरिया एण्ड एक्विजीशन औफ सरप्लस लैंड १९६१) (बिहार अधिनियम. १०, १९६२) की धारा-१५ (क) (२)के अधीन स्वेच्छा मे उनुके द्वारा धारित अधिगेष भूमि सरकार को समर्पित किया है।

और, चूंकि उक्त विवरण के उक्त तालिका स्तम्भ १ मे ५ तक में बणित भूमि अधिगेष है,

इमलिए, अब उक्त अधिनियम को धारा-१५ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

बिहार राज्यपाल, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ उक्त अधिगेष भूमि लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, अर्जन करते हैं।

उपरोक्त अर्जन उक्त भूधारी के द्वारा धारित भूमि के विवरण प्रारूप में अन्तिम प्रकाशन से सम्बन्धित धारा ११ की उपधारा (१) के अधीन होगा।

अधिगेष भूमि के रकबे की तालिका

भूधारी का नाम— श्री कमलेश्वरी प्रसाद सिंह

ग्राम—ठूठी

पेसर—श्री परमानन्द सिंह

अञ्चल—बोधम

जिला—मुंबैर

10

गांव	जाता न०	प्लोट न०	क्षेत्रफल ए० डि०	गांव	जाता न०	प्लोट न०	क्षेत्रफल ए० डि०
१	२	३	४	१	२	३	४
ठूठी	२८२	००१	० ६६	भुचा	११६	६६५	० ७०
		२४००	० ६८			६६४	० १३
भुचा	२७४	४८६	० ७	कुल		२१०	२११
		५६६	१ ४६			४	६८
		६६३	० १८				
		१०१६	० १०				
		६३६	० १३				
		६३१	० ०२				
		६०५	० ३७				

(कुल रकबा नार एकड़ और अड़मरु डिमगल) मात्र  
(गणिका सं० ६ सीलिंग-२००-७७/४७)

बिहार राज्यपाल के माथेनानुसार  
आर० एन० डाकुर  
सरकार के लिये बणित।

१३.१७

मुंगेर गवर्नर ६ अप्रिल १९७७

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
अधिसूचना  
मुंगेर दिनांक ४-४-७७

अधिसूचना संख्या ३१ रा. ७७ दिनांक ४-४-१९७७ का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद ३५८ के खण्ड (३) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ यथावत आया है।

संख्या संख्या ६ सीलिंग स्. २०००७७।७७  
बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार  
आर. एन. ठाकुर  
सरकार के उप सचिव।

NOTIFICATION

Monghyr, 4-4-1977.

No. 31 R 77 WHERE AS THE landholder mentioned in column I of the Table here to annexed has voluntarily surrendered surplus land by him under Section 15 (A) (2) of the Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) Act, 1961, (Bihar Act 12 of 1962) to the Government.

And where as the land described in column I to 4 of the said Table is surplus land;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the said Act the Governor of Bihar is pleased to acquire for the purpose of the said Act, the said surplus land which is required for public purposes;

The said acquisition shall be subject to the provision contained in sub-section (1) of section 11 relating to the final publication of the statement of the draft said land holders

Details of Surplus Land's Table

Land holder's Name—Kamleshwari Pd. Singh  
Father's Name—Sri Parmanand Singh

Village—Thuthi Anchal—Chautham  
Dist.—Monghyr

Village	Khata No.	Plot No.	Area Acre Dec	Village	Khata No.	Plot No.	Area Acre Dec
1	2	3	4	1	2	3	4
Thuthi	282	2401	0 76	Buchcha	119	665	0 70
		2402	0 68			664	0 13
	271	489	0 07		274	210	0 05
Buchcha	1	599	1 49				4 68
	51	663	0 18	(Total Four Acres & Sixty Eight Decimals) only			
	121	90 89	0 10	(File No. 6/Ceiling V. 20007776)			
		639 636	0 13	By order of the Governor of Bihar			
		631	0 02	R. N. Thakur			
		601	0 37	Deputy Secretary to Government.			